राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (41) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015–16 जयपुर, दिनांक 16 मई, 2016

– :: कार्यवाही विवरण :: –

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 6.05.2016 को तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें 13 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया (संलग्न सूची) एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा की गई जो निम्न प्रकार है।

1. तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता एजेन्सीयों के प्रतिनिधियो द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता जॉच/निरीक्षण हेतु कम से कम 3 सदस्यों का दल अनुमत किया जावें।
2. संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है, कि आवंटित कार्यो की गुणवत्ता जॉच हेतु उपकरण, मशीन आदि ले जाने के लिये साधन की आवश्यकता होती है अतः संस्था के मुख्यालय से वाहन किराया अनुमत किया जावे। विभाग द्वारा संस्थाओं को इस कम में अपनी क्षमता के आधार पर जिलों की प्राथमिकता की जानकारी ली गई।
3. संस्था के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि आवंटित कार्यों से सम्बंधित MB विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराई जाती है। इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी को निर्देशित किये जाने बाबत निर्देश दिये गये एवं संस्थाओं को निर्देश दिये कि बिना MB प्रति व तकनीकी स्वीकृति प्रति आदि के जॉच नहीं की जावें एवं प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर, कार्यादेश देने वाले कार्यालय को अनिवार्य रूप से सूचित किया जावे।
4. संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी को आवंटित कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट व बिल प्रस्तुत करने पर 7 दिवस के अन्दर भुगतान किया जावे।
5. निर्माणाधीन कार्यों की concurrent third party inspection के कम में विचार–विमर्श किया गया, अधिकांश संस्थाओं द्वारा ग्रेवल सडक एवं इन्टरलॉकिंग सडक निर्माण कार्यों हेतु 5 कार्य दिवस प्रति कार्य (सम्पूर्ण निर्माण अवधि) में एवं इसी प्रकार सीसी रोड हेतु 10 कार्य दिवस प्रति कार्य की आवश्यकता व्यक्त की गई।
6. वर्ष 2015–16 में प्रगतिरत कार्य/पूर्ण कार्य जिनकी स्वीकृति 10.00 लाख या अधिक है, को चिन्हित कर आवंटित किये जायेगे। वर्ष 2016–17 आवंटन किये जाने वाले कार्य की As/Ts/Fs आदि कार्य आदेश के साथ उपलब्ध करवा दी जावेगी।
7. आवंटित कार्य की गुणवत्ता जॉच में किसी भी स्तर पर समझौता नही किया जावे।
8. कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट–आवंटित समयावधि में कर बिल प्रस्तुत करे। और बिल के साथ Bank A/c No, Bank का नाम व शाखा, IFS कोड, PAN card no आदि अंकित करते हुये बिल मदवार कम्प्यूटरराईज/प्रिन्टेड होने चाहिये।
9. निरीक्षण रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता, कार्य की वर्तमान स्थिति निर्मित/अपूर्ण कार्य एवं माप सत्यापन आदि बिन्दुवार स्पष्ट होनी चाहिये। अपूर्ण रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं की जावेगी।

10. जॉचकर्ता एजेन्सी को बिना भेदभाव निष्पक्षता व पारदर्शी तरीके से कार्य करने व कार्य आदेश की समय सीमा के भीतर ही कार्य सम्पादन किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये।

उक्त बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(के.के.शर्मा) 16/5/16
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
7. अधिक्षण अभियन्ता ईजीएस/एसएपी/अभियान्त्रिकी ग्रामीण विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9. पंजीकृत तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी/अभियंता/स्वय सेवी संस्था।
10. सहायक प्रोगामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि